कार्यालय खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
ई-मेल: commis.fssauk@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608730, 9412677141, 9997532549, फैक्स: 0135-2608746

पत्रांक:-एफ0डी0ए0 / 01 / डी0ओ0 / 158 / 2019 / ९१८५ देहरादून दिनांक 15 मार्च, 2020

सेवा में,

समस्त अभिहित अधिकारी,
खाद्य संरक्षा एव0 औषधि प्रशासन,
उत्तराखण्ड।

**विषय:- Regarding Transmission of Carona Virus.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि खाद्य करोबार(होटल, रेस्टोरैन्ट इत्यादि) के स्थलों(Premises) पर कोरोना वाइरस के संक्रमण की रोकथाम तथा इसके प्रसार के रोकने के लिये निम्नानुसार निवारक गतिविधियॉ अपने-अपने जनपदों में कार्यरत खाद्य करोबारकर्ताओं के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. होटल एवं रेस्टोरैन्ट की दिवारों की साफाई कराते हुये विसंक्रमित किया जाना।
2. खाने की मेज, बैठने के स्थान के साथ-साथ परिसर में समस्त फर्नीचर की सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना।
3. कपडे की नैपकीन, मेज का कपड़ा तथा वेटर की एप्रेन आदि को ठीक प्रकार से धोने की व्यवस्था एवं विसंक्रमित किया जाना।
4. कचरे की नियमित रूप से निकासी तथा टेबल पर रखे जाने वाले नमक मसाले इत्यादि के डिब्बों(container) की नियमित रूप से सफाई एवं प्रत्येक बार इस्तेमाल होने के पश्चात् विसंक्रमित किया जाना।
5. कार्पेट को Vacuume cleaner से साफ करना तथा फर्श को नियमित रूप से प्रत्येद कार्य दिवस में निरन्तर विसंक्रमित किया जाना।
6. मैन्यू कार्ड को नियमित रूप से प्रत्येक बार उपभोगता के द्वारा उपयोग किये जाने पर विसंक्रमित किया जाना।
7. खॉसी एवं जुकाम से संक्रमित ग्राहक को खाना रेस्टोरैन्ट में ना खाने का अनुरोध करते हुये घर पर खाना खाने तथा घर पर ही आराम किये जाने हेतु अनुरोध किया जाना।
8. प्रत्येक होटल एवं रेस्टोरैन्ट में ग्राहको को उच्च श्रेणी(न्यूनतम् 60 प्रतिशत अल्होकल) के सैनेटाईजर उपलब्ध कराया जाना।
9. विदेशी मेहमानों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सावधानी रखते हुये वार्तालाप करें तथा इसकी सूचना निकटतम् अस्पताल के साथ-साथ स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को भी सूचित करें।
10. होटल एवं रेस्टोरैन्ट इत्यादि में कार्यरत मानव संशाधन के संक्रमित / अस्वस्थ होने की दशा में सम्बन्धित को तत्काल अवकाश हेतु कार्यमुक्त करें तथा इसकी सूचना स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को भी भेजें।
11. उपरोक्त के साथ-साथ खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन में कार्यरत सभी अधिकारियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं विनियम-2011 के अनुसूची-04 के भाग-02 में उल्लेखित प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन अपने-अपने जनपदों में करते हुये कृत कार्यवाही से खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशाासन, उत्तराखण्ड के मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

15/3/20

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
आयुक्त।

Scanned by CamScanner